150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर–332001, Ph. No. 01572-274094, email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcfsikar@gmail.com)

क्रमांक :एफ ( )एफसीए / उवसंसी / 2022–23 / 1657 दिनांक: 24/02/23

निमितः–

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
नेछवा, सीकर।

विषयः–Diversion of 0.60 Ha. (Old 0.95 Ha.) Forest land For Construction of CHC, In Forest Block –Nechhawa (PF) Village- Nechhva, Teh- Laxmangarh, Dist- Sikar (Raj.) (Proposal no. FP/RJ/DISP/50853/2020) Date- 11/10/2020

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर का पत्रांक 8बी / राज042 / 2022–जेपीआर दिनांक 20.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर का पत्रांक 8बी / राज042 / 2022–जेपीआर दिनांक 20.02.2023 द्वारा 0.60 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 26 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना कर पालना रिपोर्ट निम्नानुसार अविलम्ब भिजवावें :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या A(1) की पालना में 3.25 है0 वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) एवं 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु निम्नानुसार राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करावें :–क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि रू 10,15,385 / –(In Words Ten lakh Fifteen thousand Three hundred Eighty Five rupees only)
2. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या A(2) की पालना में एनपीवी राशि 0.60 ha. x 9.5778 lac per ha. = 5,74,668 /-(In Words Five lakh Seventy Four thousand Six hundred Sixty eight rupees only) राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करावे।
3. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या B(4)की पालना में वन भूमि पर खड़े 26 वृक्षों की कीमत राशि रूपये 28,847 /-(In Words Twenty eight thousand Eight hundred Fourty Seven rupees only) राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करावे तथा पातन की जाने वाली वन सम्पदा का परिवहन यूजर एजेंसी स्वयं के खर्चे से कर नजदीकी वन चौकी / रेंज / भंडार कार्यालय में पहुंचायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या की पालना में जिला कलक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र एवं सम्पर्ण बैठक कार्यवाही विवरण पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7–23 / 2012 / एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में प्रकरण में जारी सैद्धांतिक

स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्रों की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या A(1), A(2) व B(4) की पालना में कुल राशि = 16,18,900/–(In Words Sixteen lakh Eighteen thousand Nine hundred rupees only) कैम्पा फण्ड में जरिये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करावे।

अतः शर्त संख्या A(3, 5, 7), B (1, 2, 4 से 18 तक) एवं C- Specific Conditions (1, 2) में उल्लेखित बिन्दुओं के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 20.02.2023 (प्रति संलग्न) में अधिरोपित शर्तों की पालना रिपोर्ट मय अंडरटेंकिग 05 प्रतियों एवं शर्त संख्या A(1), A(2) व B(4) की पालना में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई–चालान द्वारा ऑनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति यू.टी.आर. संख्या के साथ उपलब्ध करावें ताकि आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/पालना/वचनबद्धता अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सकें।
संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)
उप वन संरक्षक,
सीकर

क्रमांक एफ सम/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।
3. सहायक वन संरक्षक, सीकर/क्षेत्रीय वन अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का गैरवानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं हो, यह सुनिश्चित करें।

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)
उप वन संरक्षक,
सीकर